



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13112025-267633
CG-MH-E-13112025-267633

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 726]
No. 726]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 11, 2025/कार्तिक 20, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 11, 2025/KARTIKA 20, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिसूचना

मुंबई, 20 अक्टूबर, 2025

फा. सं. सीओ.डीओआर.आरएयूजी.सं.एस5697/08.02.498/2025-26.—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके एतद्वारा उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में "मॉडेल को. ओप. बैंक लि." को सम्मिलित किए जाने का निर्देश देता है।

आर लक्ष्मी कान्त राव, कार्यपालक निदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./462/2025-26]

RESERVE BANK OF INDIA
NOTIFICATION

Mumbai, the 20th October, 2025

F. No. CO.DOR.RAUG.No.S5697/08-02-498/2025-2026.—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion of "Model Co-op. Bank Ltd." in the Second Schedule to the said Act.

R. LAKSHMI KANTH RAO, Executive Director
[ADVT.-III/4/Ext'y./462/2025-26]

7500 GI/2025